

प्रेषिका,

श्रद्धा त्रिपाठी,
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
कानपुर नगर ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा: श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर ।

संदर्भ-पत्रांक संख्या 12857/IV- 3836/Admin/A दिनांकित 23.09.2024 तथा पत्रांक संख्या 11718/IV-F-82(पेंशन)/एडमिन (ए)दिनांक 31 अगस्त 2024 के अनुपालन में सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत सेवा (11.04.2005 से 06.01.2010) को वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जोड़े जाने तथा पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने हेतु विकल्प चुनने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराते का सम्मान प्राप्त हुआ है कि उ०प्र० शासन द्वारा पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा का विज्ञापन 28.03.2005 के पूर्व जारी हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना से अछादित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी भी उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों व प्रावधानों के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में अछादित होना चाहती है, सुसंगत शासनादेश व प्रावधान निम्नवत है-

1- अधोहस्ताक्षरी ने उ०प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 07 जनवरी 2010 को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 (अनुलग्नक-17) से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उ०प्र० शासन के अधीन अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पद पर कार्यरत रही थी। उ०प्र० शासन के अधीन अभियोजन विभाग से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2002, दिनांक 31.12.2002 विज्ञापित हुयी थी, जो 28.03.2005 के पूर्व की है, जो कि (अनुलग्नक संख्या-1) है।

2- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर अधोहस्ताक्षरी का चयन होने के उपरान्त दिनांक 05.04.2005 अभियोजन निदेशालय उ०प्र० द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या एक -दो-136-2004/2109/05 लखनऊ दिनांक: 05 अप्रैल 2005 जारी हुआ, जो (अनुलग्नक संख्या-2) है। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया गया, जो (अनुलग्नक-3) है। तत्पश्चात आधारभूत प्रशिक्षण के

उपरान्त जनपद कानपुर देहात में कार्यमुक्त होने तक सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य करती रंही। (अनुसंलग्नक-4 व 5)सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात में कार्यभार ग्रहण करने छायाप्रति है।

3- अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 के जरिये दिनांक 1 अप्रैल 2005 या उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नई नियुक्ति पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। चूंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु प्रभार ग्रहण किया गया था जिस कारणवश पूर्व सेवा सहायक अभियोजन अधिकारी का पद उपरोक्त अधिसूचना के अध्याधीन नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत था, सम्बन्धित शासनादेश (अनुलग्नक 6) है।

4- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन में प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था प्रावधानित की गयी है, सम्बन्धित शासनादेश (अनुलग्नक 7) है।

5- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुये अभियोजन विभाग की अनुमति के उपरान्त उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन किया था जो (अनुलग्नक- 8, 9 व 10) है। उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 में चयनोपरान्त विभाग की अनुमति से पत्रांक संख्या-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09 दिनांक 05 जनवरी 2010 के द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर (अनुलग्नक 11) उ०प्र० न्यायिक सेवा को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 के अनुपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद के रूप में दिनांक 07.01.2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 06.01.2010 को सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पद से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त होकर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पत्रांक संख्या 03/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 के जरिये कार्यमुक्ति प्राप्त की गयी थी, जो कि (अनुलग्नक-12 व 13) है।

6- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) / 2024 दिनांकित 28.06.2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 में वर्णित निर्देशों एवं विकल्प के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना का चुनाव अंतिम रूप से करती है तथा निर्धारित विकल्प प्रारूप को हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल 1961 के अधीन अच्छादित किये जाने वाली शर्तों को पूर्ण करती है क्योंकि अधोहस्ताक्षरी का सर्वप्रथम चयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विज्ञापित पद सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2002, विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2002 में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ था। नवीन पेंशन

योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित होने के सम्बन्ध में एक पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया गया है, जो कि (अनुलग्नक-14) है।

7- चूंकि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद का विज्ञापन दिनांक 31.12.2002 को हुआ था। अतः उक्त पद उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 से पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार उ०प्र० न्यायिक सेवा में आवेदन किया गया है तथा अभियोजन विभाग से कार्यमुक्त होकर उ०प्र० न्यायिक सेवा का पदभार ग्रहण किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान की गयी सेवा को जोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके। सेवा जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89 दिनांकित 30 अप्रैल 2019, जो कि सेवानिवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं को जोड़े जाने के परिप्रेक्ष्य में है, इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप में आवश्यक प्रविष्टियां करके संलग्न किया गया है, जो कि (अनुलग्नक 15) है।

8- शासनादेश संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी०सी० दिनांकित 16 सितम्बर 2011 के पैरा 3 (1) में प्रावधानित किया गया है कि जहां पर एक अप्रैल 2005 के पद से पूर्व नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थी तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी पूर्व सेवा अर्हकारियों सेवा के साथ जोड़े जाने पर 1 अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त होने पर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित माना जायेगा। सम्बन्धित शासनादेश (अनुलग्नक 16) है।

9- संख्या सा-3-1671/दस-2010-301(9)/2003 टी०सी० 3302/दो-3-10 दिनांकित 16 सितम्बर 2010 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की सेवा में रहते हुये उनका वित्त पोषण सरकार की समेकित विधि से किया जाता था, कि पेंशनयुक्त सेवा में 1 अप्रैल 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की पेंशन युक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा में कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर नियुक्त होते हैं तो वह उसी पेंशनयुक्त योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वह दिनांक 1 अप्रैल 2005 से पूर्व अच्छादित थे। उक्त शासनादेश के सापेक्ष शासनादेश संख्या -14/24/सा-3-243/दस-224/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून 2024 उल्लेखनीय है जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। चूंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में कार्यरत सेवा सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पदों के सम्बन्ध में विज्ञप्ति दिनांक 31.12.2002 को विज्ञापित की गयी थी जो कि 28.03.2005 के पूर्व की है, जिसके आधार पर शासनादेश दिनांकित 28 जून 2024 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प रखती है।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने की सेवा तथा उ०प्र० न्यायिक सेवा में कार्यरत रहने की सेवा जोड़े जाने की प्रार्थना के साथ पत्र प्रेषित किये जाने की कृपा करें।

सादर ।

दिनांक-27.09.2024

भवदीया,

(श्रद्धा त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.

कानपुर नगर।

I.D.No U.P. 1806
कानपुर न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कानपुर नगर।

संलग्नक-


- 1- सहायक अभियोजन अधिकारी की विज्ञप्ति संख्या ए-4/ई-1/2002 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2- दिनांक 05.04.2005 अभियोजन निदेशालय उ०प्र० द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-136-2004/2109/05 लखनऊ दिनांक: 05 अप्रैल 2005 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 3- डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या -प-449/2005/दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 4- डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या -प-449/2005/दिनांक 07.10.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार हस्तान्तरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 5- सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात में के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 6- अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 की प्रति।
- 7- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की प्रति।
- 8- उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 9- उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन करने की अनुमति अभियोजन निदेशालय का पत्रांक संख्या-एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-2/1014/2006 दिनांक 21 फरवरी 2007 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 10- अभियोजन निदेशालय उ०प्र० का उ०प्र० सिविल जज (जू०डि०) के साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-3/5965/सीबी दिनांक 10 नवम्बर 2008 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- 11- अभियोजन निदेशालय उ०प्र० का उ०प्र० सिविल जज (जू०डि०) के पद पर चयन के फलस्वरूप कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09 दिनांक 05 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 12- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात का कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या 03/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 13- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात का कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या 04/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 14- श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश को नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित होने के सम्बन्ध में लिखे पत्र की स्व० प्रमाणित छायाप्रति।
- 15- शासनादेश संख्या 17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89 दिनांकित 30 अप्रैल 2019 की छायाप्रति
- 16- शासनादेश संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी०सी० दिनांकित 16 सितम्बर 2011 की छायाप्रति
- 17- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 18- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित विहित प्रारूप।
- 19- पुरानी पेंशन योजना चुने जाने हेतु विकल्प पत्र।
- 20- शासनादेश संख्या:17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक 30 अप्रैल की प्रति।

प्रतिलिपि- श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश

दिनांक-27.09.2024

भवदीया,


(श्रद्धा त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.

कानपुर नगर।


I.D. No. 1806

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर ।

पत्रांक 2339/1 कानपुर नगर

दिनांक 27.09.2024

श्रीमान् महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सादर अग्रसारित।


जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर
कानपुर नगर

Consolidated Details with respect to Counting of previous Service

Name of the Officer Designation in U.P. Nyayik Sewa/U.P.H.J.S	Shradha Tripathi Additional District Judge/F.T.C(C.A.W) Kanpur Nagar
Date of Joining in U.P. Nyayik Sewa/U.P.H.J.S	07.01.2010
Appointing Authority	Governer/Government of U.P
Date of retirement on superannuation	30.04.2040

Details of previous Service

Designation/Post held in previous service	Assistant Prosecuting Officer
Department/Office under which previous service was rendered	Prosecution department Uttar Pradesh Government
Date of joining in previous service	11.04.2005
Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent)	Permanent
Government under which previous service was rendered (Central/State)	U.P. State
Date of relieving in previous service	06.01.2010
Whether previous service rendered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme	New (National) Pension Scheme at choice 1-संख्या-14/2024/सा-3- 243/दस-2024/301(1)/2024 Lucknow 28.06.2024 2-संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस-2024/301(1)/2024Lucknow 11.07.2024
Mention relevant Government Order(s) vide which past service benefits is claimed as well as particular provision of the Government Orders, applicable in his/her case (annex copy of G.O.s).	1-संख्या-14/2024/सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 Lucknow 28.06.2024 2-संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस 2024/301(1)/2024Lucknow 11.07.2024 3- कार्यालय ज्ञाप संख्या- 28/30/2004 पी० &पी०डब्लू० (बी); दिनांकित 11 जून 2020

	<p>4-शासनादेश संख्या-17/2019/सा-3-346/10-2019-933/8 दिनांकित 30 अप्रैल 2019</p> <p>5-अधिसूचना दिनांकित 28 मार्च 2005</p> <p>6-शासनादेश संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी०सी० दिनांकित 16 सितम्बर 2011</p> <p>7-शासनादेश संख्या-3-1071/दस-2010/2003 टी०सी० दिनांकित 16 सितम्बर 2010</p> <p>8-शासनादेश संख्या-जी-3-379/X/2005-301(9)-2003 दिनांकित 28 मार्च 2005</p> <p>9-शासनादेश संख्या-सा-3-1984/दस/2001-901-98 दिनांकित 28.12.2001</p> <p>10-शासनादेश संख्या-सा-3-728/10-98-901-98 दिनांकित 10 जुलाई 1998</p> <p>11-अर्हकारी सेवाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध</p>
Remark(s), if any	

(श्रद्धा त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.

कानपुर नगर।

I.D.No U.P. 1806

(1)
(अनुलग्नक-7)

1-

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था जो दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28
जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(जुलै-15-19)

(19)

शासनादेश संख्या- संख्या20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11
जुलाई 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम-श्रद्धा त्रिपाठी
2. वर्तमान पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० कानपुर नगर
3. वेतनमान-149190/-
4. वर्तमान विभाग का नाम-उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश
6. विज्ञप्ति की तिथि-31.12.2002
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-05.04.2005
8. योगदान की तिथि-11.04.2005
9. जन्मतिथि-16.04.1980
10. सेवानिवृत्ति की तिथि-30.04.1940

मैं श्रद्धा त्रिपाठी पुत्री श्री शिव कान्त त्रिपाठी शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024 /301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने की विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-

नाम-श्रद्धा त्रिपाठी

पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
विभाग के विरुद्ध अर्पण के विचारण हेतु पत्र
कानपुर नगर

घोषणा पत्र

मैं श्रद्धा त्रिपाठी, पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० कानपुर नगर यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम-श्रद्धा त्रिपाठी

पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
विभाग के विरुद्ध अर्पण के विचारण हेतु पत्र
कानपुर नगर

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती श्रद्धा त्रिपाठी, पदनाम अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना() में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।



कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर

3

No. 28/30/2004-P&PW (B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 11th June, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Mobility of personnel amongst Central /State & Autonomous Bodies while working under Pensionable establishments – regarding.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) was introduced vide Department of Economic Affairs' notification No.5/7/2003-ECB.PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January 2004 except the Armed Forces.

2. In this Department's O.M. of even number dated 26.7.2005, it was provided that all employees who joined Central Government service or in the service of an autonomous body set up by the Central Government before 1.1.2004 and who were governed by old pension scheme under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 will continue to be governed by the same pension scheme / rules and will count their past service if they take up new appointment in another Ministry / Department of the Central Government or a Central Autonomous Body covered by the CCS (Pension) Rules on or after 1.1.2004, subject to their satisfying the conditions laid down in Para 4 of DP&AR's O.M. No.28/10/1984-PU dated 29.8.1984.

3. Subsequently, vide this Department's O.M. of even number dated 28.10.2009, the benefit of counting of past service under the CCS(Pension) Rules, 1972 was extended to those employees who were initially appointed before 1.1.2004 in (i) Central Government Departments covered under Railway Pension Rules or other similar non-contributing pensionable establishments of Central Government covered by old Pension Scheme /rules other than CCS(Pension) Rules, 1972 OR, (ii) State Government covered under old pension scheme similar to CCS(Pension) Rules, OR (iii) Central / State Autonomous Body covered by the old pension scheme and who resigned to join a Central Government Department / Office or a Central Autonomous Body having pensionable establishment.

4. Representations have been received in this Department from employees who joined under NPS in Central Government / Central Autonomous Bodies after 1.1.2004 but before 28.10.2009, after technical resignation from a pensionable establishment of a Central Government Department, State Government or Central / State Autonomous Body and who were denied the benefit of counting of past service in the old pension scheme in the Central Government.

Contd..2/-.

5. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel and Training and Department of Expenditure. It has been decided that those employees who joined Central Government / Central Autonomous body under NPS during 1.1.2004 to 28.10.2009 after submitting technical resignation from Central Govt. / Central Autonomous Body or a State Government / State Autonomous Body and who fulfill the conditions for counting of past service in terms of this Department's O.M. dated 28.10.2009, may be given an option for induction in old pension scheme and to get their past service rendered in the Central / State Government or Central / State Autonomous Body counted for the purpose of pensionary benefits on their final retirement from the Central Government / Central Autonomous Body, subject to fulfillment of all other conditions of counting of such past service in terms of DPAR's O.M. dated 29.8.1984 read with this Department's O.M. dated 7.2.1986 as amended from time to time.

6. Such option may be exercised within 3 months of issue of this O.M. Such employees who are appointed under NPS during 1.1.2004 to 28.10.2009 and are eligible to exercise option in terms of para 5 above but do not exercise the option within the stipulated period will continue to be covered by the provisions of National Pension System. Those employees who joined during 1.1.2004 to 28.10.2009 and have already been given the benefit of CCS(Pension) Rules in terms of O.M. dated 28.10.2009, will continue to be governed by those rules.

7. Those employees who exercise option for counting of past service in accordance with the above provisions may be allowed to avail the benefit under CCS (Pension) Rules, 1972. The capitalized value of pension and gratuity for the past service in the Central / State Autonomous Body will be deposited by that Body to the Central Government / Central Autonomous Body in accordance with the instructions contained in the O.M. No. 28/10/84-Pension Unit dated 29.8.1984. In case the employee concerned has received the pensionary benefits from the Central Government Departments, State Government, Central / State Autonomous Body, etc., he would be required to deposit the amount of such pensionary benefits (along with interest to be calculated in accordance with this Department's O.M. No. 38/34/2001-P&PW(F) dated 29-07-2002) with the Central Government Department / Central Autonomous Body in which he has joined, to enable counting of past service; The employee's share in the accumulated wealth of National Pension System with interest / returns accrued thereon under the NPS, would be deposited in the GPF account of the employee. The employer's share along with interest / returns accrued thereon under the NPS would be deposited in the account of Central Government / Central Autonomous Body in accordance with modalities provided in para 9 of this OM.

8. In some cases, due to non-availability of benefit of counting of past services under the old pension system during 01.01.2004 to 28.10.2009, the employees of State Government/ State Autonomous bodies etc. may have been compelled to take voluntary retirement before joining pensionable Central Government Department/ Central Autonomous bodies after 01.01.2004 but before 28.10.2009. It has been decided that 'voluntary retirement' of such employees may be treated as 'technical resignation' and the benefit of provisions of para 5 to para 7 above may also be extended to them subject to fulfillment of all other conditions for counting of service.

8.1 The forwarding the application through proper channel for the post they had joined after getting voluntary retirement is a pre- requisite for considering it as technical resignation.

8.2 The provisions of this O.M. is mandatory in all such cases.

9. The modalities of accounting of the NPS accumulation would be as under:

S. No.	Issues	Adjustment process
1	Adjustment of employee's contribution to NPS	Amount may be credited to the individual's GPF account and the account may be recasted permitting up to date interest. (FR 16 & Rule 11 of GPF Rules)
2	Adjustment of Government contribution to NPS	To be accounted for as (-) Debit to Object Head "70- Deduct Recoveries" under Major Head " 2071- Pensio and other Retirement Benefits" and Minor Head " 911 – Deduct Recoveries of overpayments" (GAR 35 and Para 3.10 of LMMH and Para 5.1.3 (iii) of Civil Accounts Manual refers)
3	Adjustment of increased value of subscription in NPS on account of appreciation of investment	May be accounted for by crediting the amount to Government Account under Major Head "0071- Contribution & Recoveries towards Pension & other Retirement Benefits" and Minor Head "800-Other- Receipts" (Note under above Major Head in LMMH)

10. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate Offices and Autonomous bodies under them.

11. This issues in consultation with of Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure vide I.D. Note No. 25(6)/EV/2017 Dated 06.01.2020 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. 1(7)(2)/2010/c/a/TA/860 dated 18.08.2017.

12. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued after consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.

13. Hindi version will follow.


(Ruchir Mittal)

Deputy Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Chief Secretaries of all State Governments/UTs.
3. Accountant Generals in the States and UTs.
4. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
5. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
7. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
8. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
9. AD(OL) for Hindi version.
10. NIC for posting on the website of this Department.

(अनुलग्नक-15)

15

4

संख्या:-17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/8

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभाग, उ०प्र० सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 30अप्रैल, 2019

विषय: सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना ।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोड़े जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये ।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मिश्रा

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0 ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, 30प्र0 ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, 30प्र0 ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

सेवा जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची -

1-	उ०प्र० सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद -	
(1)	अनुच्छेद -361	अहकारी सेवा की शर्तें
(2)	अनुच्छेद -368	अहकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता
(3)	अनुच्छेद -370	कार्यप्रभारित अधिष्ठान ए कन्टिन्जेंसी से भुगतानित सेवाओं एवं नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अहकारी सेवाओं में न जोड़ा जाता
(4)	अनुच्छेद -422	सेवाओं में व्यवधानों का निषेध
2-	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	
(1)	सा-3-1152/दस-915-89 दिनांक 01.07.1989	अस्थायी सेवा को अहकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना
(2)	सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक 28.07.1989	सामान्य दिशा निर्देश
(3)	सा-3-728/दस-98-901-98 दिनांक 10.07.1998	राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण
(4)	सा-3-1984/दस-2001-901-98 दिनांक 28.12.2001	सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना ।
(5)	सा-3-950/दस-2006-901/98 दिनांक 20.07.2006	राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना ।

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिगता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

शासनादेश संख्या: 17/2019/सा-3-346/ दस-2019-933/89 दिनांक 30 अप्रैल,

1- वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	श्रद्धा त्रिपाठी
(2) पदनाम एवं वेतनमान	अपर सत्र न्यायाधीश, 1,49,190/-
(3) कार्यालय/विभाग	उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
(4) जन्म तिथि	16.04.1980
(5) कार्यभार ग्रहण की तिथि	07.01.2010
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009
(8) अधिवर्षता की तिथि	30.04.2040
2- पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	श्रद्धा त्रिपाठी
(10) पदनाम एवं वेतन	सहायक अभियोजन अधिकारी 6500-200-10500
(11) कार्यालय/विभाग का नाम	अभियोजन निदेशालय
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	उत्तर प्रदेश शासन
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	11.04.2005
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	06.01.2010
(15) क्या पूर्व की सेवायें पेंशनेबल थीं।	हां- उ०प्र० शासन द्वारा पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 द्वारा
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीजनल/नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां, तो विवरण दिया जाये। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये।	नहीं
(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां, तो विवरण दिया जाये।	नहीं
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां तो-	नहीं
(i) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित	लागू नहीं
(ii) व्यवधान का कारण	लागू नहीं
(iii) क्या व्यवधान का मर्षण	लागू नहीं

प्रस्तावित है।	
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां तो तत्सम्बन्धी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्सम्बन्धी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये।	-
* 3- विभाग की संस्तुति	<p>Recommended -</p> <p><i>Pradeep</i></p> <p>जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर</p>

(श्रद्धा त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.

कानपुर नगर।

I.D.No U.P. 1806

5

IFA:TR

कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2-नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

No. G-3-379/X-2005-301(9)-2003

Dated Lucknow, March 28, 2005

The State Government, in consideration of its long-term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new defined contribution pension system in place of the existing defined benefit pension scheme, for new entrants to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous institutions and State-aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government :-

(i) From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous/State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st April, 2005, may also voluntarily opt for the new pension system in place of existing pension scheme.

(ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 per cent of the salary and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution/private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution/private educational institution for making employer's contribution until the institution is in a position to make the contribution itself. The contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension tier-I account. No withdrawal would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.

(iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier-II account, in addition to the pension tier-I account. However, employer would make no contribution to tier-II account. The assets in tier-II account would be invested/managed through exactly the same procedure as for pension tier-I account. However, the employee would be free to withdraw part or all of the "second tier" of his money anytime.

(iv) Employee can normally exit tier-I of the pension system at the time of retirement. At exit the employee would be mandatorily required to invest 40 per cent of pension wealth to purchase an annuity from a recognised insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump-sum which he would be free to utilise in any manner.

In case of employee exiting the pension tier-I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 per cent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record-keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2. The effective date for operationalisation of the new pension system shall be 1st of April, 2005.

By order,
RITA SHARMA,
Vitt Ayukt Evam Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-469/दस-2005-301(9)-03 — NA
लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2005
अधिसूचना/प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005 कही जायेगी।

नियम 2 का
संशोधन

(2) यह 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में, नियम 2 में, वर्तमान उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।”

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रहें हों, के कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि विकास एवं विकास प्राधिकरण (पीएफओआरडीएओ) की नई पेंशन योजना के अधीन कार्यरत था तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के आखिरके उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/पूरुसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना से लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह नई पेंशन योजना से निकारी कर ले।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहे पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हो अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक-01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

भवदीया,



(वृन्दा सरूप)

प्रमुख सचिव, वित्त।


संख्या-सा-3 1118(1)/दस-2011, तददिनांक।

प्रांतिर्लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 4- महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6. प्रदेश प्रवेशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. जंगल एवं रक्षेत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को इस आशय से कि, इसे ऊसधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी पाँच हजार प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशा है,



(नील स्तन कुमार)
संयुक्त सचिव।

7

- 1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

T-3

लखनऊ : दिनांक : 16

अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-301(9) / 2003, दिनांक 28
द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संदर्भ में स्पष्टीकरण

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / 303, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, वित्त की भौति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से किया गया है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से लागू है।

वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ में कर्मियों को जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की सेवा में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचार लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पेंशन योजना की भौति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण नमेकित निधि से किया जाता है, को पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग-पत्र देकर उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से आच्छादित थे।

प्रमुख सचिव

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

अनूप मिश्र
30/03/2005

5

(अनु-6)

THE UTTAR PRADESH GAZETTE

Extraordinary

Published By Authority

Lucknow, Monday, 28th March, 2005

NOTIFICATION BY GOVERNMENT

----- x -----
FINANCE DEPARTMENT

The State Government, in consideration of its long term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new defined contribution pension system in place of the existing defined benefit pension scheme, for new entrants to the service of the State Government and of all State controlled autonomous institutions and State - aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government:-

- (i) From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State controlled autonomous / State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st April, 2005 may also voluntarily opt for the new pension system in place of the existing pension scheme.
- (ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 percent of the salary and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution / private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution private educational institution for making employer's contribution until the institutions is at a position to make the contribution itself. The contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension tier I account. No withdrawals would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.
- (iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier II account, in addition to the pension tier I account. However, employer would not make contribution to tier II account. The assets in Tier II account would be invested / managed through exactly the same procedure as for pension tier I account. However, the employee would be free to withdraw part of all the 'second tier' of his money anytime.
- (iv) Employee can normally exit tier I of the pension system at the time of retirement. At

exit the employee would be mandatorily required to invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity from a recognized insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump sum which he would be free to utilise in any manner. In case of employee exiting the pension tier I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 percent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2. The effective date for operationalization of the new pension system shall be 1st of April, 2005.

9

संख्या सा-3-1984/दस-2001-901-98

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2001

विषय :- राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन माँगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन माँगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-3-728/दस-901-98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वहीं सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जायें तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" जहाँ पेंशन व्यवस्था लागू है, में लागू की गयी है। परन्तु उक्त आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में कतिपय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम/निगम" के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 की व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम" में नहीं। अतएव शासनादेश में जहाँ-जहाँ "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द स्थापित माना जाए।

2-"स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के संविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

3-शासनादेश संख्या सा-3-728/दस-98-901-98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनजीत सिंह
सचिव, वित्त।

संख्या सा-3-728/दस-98-901-98

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 1998

विषय :- राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस राज्य सरकार में यह व्यवस्था विद्यमान है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके नैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करे या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/ सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के उपक्रम/निगम का कर्मचारी राज्य सरकार में आता है तो प्रश्नगत सुविधा उन्हें उपलब्ध करायी जाये।

2-शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है और संविलीन हो जाता है या उसी परिस्थिति में भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल हैं तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहां राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम/ निगम में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो एवं संबंधित कर्मचारी का संविलियन सेवानिवृत्त होने वाले उपक्रम/निगम/सरकार में हो गया हो, तो यदि दोनों ही पद पेंशनेबुल हो, तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे और दानों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान/सरकार द्वारा किया जायेगा जहां से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी पर वही पेंशन नियम लागू होंगे जैसी कि उस सरकार/उपक्रम/निगम में लागू हों-

(1) जब किसी पेंशनयुक्त संगठन में कार्य कर रहें राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए आगणित कराने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी किन्तु पेंशन संबंधी सुविधायें केवल

तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्तशासी निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तब उस समय प्रसुविधायें उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन हो जाते हैं उनके मामलों में भी वही क्रियाविधि लागू होगी।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला हो संविलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान/सेवान्त उपादान तथा मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेंशन की राशि समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेशों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार कर्मचारी यह विकल्प देगा कि वह या तो स्वायत्तशासी निकाय से मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा अथवा उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा करेगा और राज्य सरकार में पेंशन के लिए अर्ह सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा। इसी प्रकार से सरकारी सेवक स्वायत्त निकाय की सेवा में योगदान करने पर शासन के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जायेगी। ऐसा विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए विकल्प दे दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) जब किसी स्वायत्तशासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त कर ले और सरकार में नये सिरे से नौकरी शुरू करे या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे दे। यह विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3-राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1986 से प्रभावी माने जायेंगे।

आज्ञा से,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त।

CHAPTER XVI—Conditions of Qualifying Service

SECTION I—DEFINITION OF QUALIFYING SERVICE

Beginning of service

358. (a) Except for Compensation gratuity, an officer's service does not in the case of Superior and Inferior services qualify till he has completed twenty years of age.

(b) In other cases, unless it be otherwise provided by special rule of contract the service of every officer begins when he takes charge of the office to which he is first appointed.

Note 1—Not printed.

Note 2—Not printed.

359. The following exceptions are admitted to twenty years rule:—

* * * * *

(3) Sub-assistant Surgeons count service from the date they pass their final examination.

NOTE—Pupils of the Civil Hospital Assistant Class in Medical Collèges who were granted leave under Article 52(c) count service from the date on which the leave begins.

360. Deleted.

Conditions of qualifications

361. The service of an officer does not qualify for pension unless it conforms to the following three conditions:—

First—The service must be under Government.

Second—The employment must be substantive and permanent.

Third—The service must be paid by Government.

These three conditions are fully explained in the following Section.

Decisions of the Government of India

(1) The service of a Treasurer of one or more District Treasuries who does not himself do the work of office in any of the Treasuries, but appoints an agent to do it for him, is not pensionable as no claim to pension is admitted when a person's whole-time is not retained for public service [Article 352 (c) C.S.R.] but is merely paid for work done for the State.

[Government of India, Finance Department no. 3230, dated the 9th July, 1951]

(2) In cases in which a Divisional Treasurer is a firm consisting of several partners, each of whom does the work of one of the Divisional Treasuries each such partner actually performing the work of a Treasurer at a separate treasury is entitled to pension.

[Government of India, Finance Department no. 895-P, dated the 12th February, 1907]

361-A. The Government of India may, however, in the case of service paid from General Revenues even though either or both of conditions (1) and (2) are not fulfilled:—

(1) declare that any specified kind of service rendered in a non-gazetted capacity shall qualify for pension;

(2) in individual cases and subject to such conditions as it may think fit to impose in each case, allow service rendered by an officer to count for pension.

Subject to such conditions as it may think fit to impose, the State Government may delegate its powers under this Article to the Heads of Departments.

NOTE—Not printed.

Decisions of the Government of India

The Local Government can allow the benefit of Article 368 (now Article 361-A, Civil Service Regulations), irrespective of the provisions of Article 381-B, Civil Service Regulations to an officer whose whole service was temporary whether followed by permanent service or not.

[Government of India, Finance Department no. 895-P, dated 12th February, 1907]

Decisions of the State Government

Treatment of temporary service of men who are enlisted as constables in connection with additional police appointed under section 15 of the Police Act, 1861—The Governor in Council is pleased under Article 361-A of the Civil Service Regulation to declare that the temporary service of men who are enlisted as constables in connection with additional Police appointed under section 15 of the Police Act, 1861, or special temporary reserves and who are subsequently enlisted in the regular police shall count for pension provided the interruptions between temporary service and confirmation in the regular line are condoned under the rules published in government order in notification No. A—5203/10-255 Dated the 10th October 1930 vide G.O. No. 1306/VIII—106, Dated the 8th March, 1932 the term "Special temporary reserves" used in G.O. No. 306—VIII—106 Dated March 6, 1932. do not include the Five Hundred Constables Who were temporarily appointed under G.O. No. 440/VIII-521, dated March 6, 1933, to replace the men deputed to the Hardwar Ardh-Kumbh Mela of 1933. In the case of those 500 constables the Governor in council is pleased, under article 361-A civil service regulations to declare that their temporary service shall count for pension if they are subsequently enlisted in the regular police.

2. Counting of temporary service of certain constables for pension—(I) The Governor has been pleased under Article 361-A to declare that the temporary service of men who were enlisted as constables during the year 1939-40 and 1941 in connection with various schemes concerned with War expansion and Political activities such as vulnerable point guards, protection of strategic railways. District Intelligence staff expansion. Criminal Investigation Department expansion, etc. and who are subsequently enlisted in the regular Police shall qualify for pension.

[Police Department G.O. no. 1667/VIII—23241, dated the 29th July, 1941]

3. The temporary service of constables enlisted in connection with the Police arrangements for the Allahabad kumbha Fair of 1942 in accordance with the orders issued in G.O. no. 334-P/VIII, dated the 30th June, 1941, who subsequently joined the regular Police Force, shall count for pension.

Any interruption between the temporary service of the constables mentioned above and their confirmation in permanent posts should be condoned under the rules published with Finance Department, notification no. A—5203/X—255, dated the 10th October, 1930.

4. The Governor has been pleased to declare under Article 361-A, C.S.R. that the temporary service of constables enlisted in the year 1942 and subsequent years until the termination of the war in connection with the various schemes connected with the war, and who are subsequently either absorbed or re-enlisted in the regular police shall qualify for pension.

5. Date from which orders relating to pensionary concessions should take effect—Such cases are of two types:—

(i) Those in which the Head of a Department himself requests Government to Grant a Concession under Article 361-A or 422-A, or 423 or 371, C.S.R. and sanctions the pension after the matter has been settled.

(ii) Those in which retired Government servant makes a request for a concession under one of the above mentioned article after he has actually been granted a pension.

The Governor has decided that the question of giving retrospective effect does not arise in cases falling under class: (i) i. e., it will automatically be allowed to him as the pension is sanctioned after the grant of concession. In the cases falling under class (ii) retrospective effect should not be given to orders if a concession is granted. But if benefit of doubt is given because Government have failed to keep the necessary papers to prove whether the Pensioner's contention is right or wrong or the Pensioner is given what was his right but which was not sanctioned in the first instance for some reasons or other, then the order should be given retrospective effect. In the orders granting a pensionary benefit the date of effect should invariably be mentioned.

[U.P. Finance (M) Department, notification no. M-253/X-612-43, dated the 9th February, 1945]

6. The Governor in Council is pleased to declare under Article 361-A, Civil Service Regulations, that service rendered in the Auxiliary Police Force should count for pension in the case of men who are accepted for transfer to the Regular Police Force. This sanction, so far as pension is concerned should be restricted to cases in which the pension does not exceed Rs. 5 per

mensem, vide Note (a) to Article 361-A, Civil Service Regulation.

7: The continuous service in the mobilized Civil Guards shall count for pension in the case of any member who has enlisted or who may hereafter enlist the U.P. Police.

8. The Governor has been pleased to declare, under Article 361-A, Civil Service Regulations that the temporary service of passed cadets of 1944 and subsequent sessions of the Police Training College until the termination of the war rendered in vacancies in connection with war schemes shall qualify for pension.

9. Substantive service in a permanent post qualifies for pension unless the service in a particular permanent post is specifically declared as non-qualifying under Article 350, C.S.R. When a temporary post is made permanent or a permanent post is sanctioned, it is not necessary to state that the post in question would also be pensionable under Article 361 C.S.R.

[P.H. Department G.O. no. 3391/XVI—901-1948 dated the 24th February, 1950]

361-B. Not printed.

Section II—FIRST CONDITION

362. The service of an officer does not qualify unless he is appointed and his dues and pay are regulated by the Government, or under conditions determined by the Government. The following are examples of officers excluded from pension by this Article :

(1) * * * * *

(2) Officers of a Municipality :

(3) Officers of Grant-in-aid Schools and Institutions (e.g., the Asiatic society and Canning College at Lucknow):

(4) Subordinates appointed by treasurers on their own responsibility, e.g., Tahsildars in the Province of Agra.....

363. Not printed.

364. Not printed.

Service paid from contract allowances

365. Service on an establishment paid from a Contract Establishment Allowance, with the detailed distribution of which the Government does not interfere, does not qualify, whether such contract allowance is a fixed amount or consists of fees.

Exception—Service of whole-time regular servants paid from contingencies up to March 31, 1947, who were in service on that date, shall qualify from the following date.

"366. An Officer retiring on or after April 1, 1962 shall count his service, including continuous temporary or officiating service on establishment paid from the House hold Allowance of the Governor only if such temporary or

officiating service is followed without interruption by confirmation in any pensionable post.

NOTE—If service rendered in a work charged or non-pensionable establishment or in a post paid from contingencies falls between two periods of temporary service on establishment paid from the House hold Allowance of the Governor or between periods of temporary service and permanent service which qualifies for pension, it will not constitute an interruption of service."

(The amendment takes effect from April 1, 1962).

Service under an employer other than Government

367. In the following cases Service under an employer to whose position Government has succeeded qualifies :

(a) Service rendered to an Indian State and continued to the British Government on the lapse or annexation of the State, when old age or infirmity renders the officer a fit object for pension.

(b) Not printed.

Section III—SECOND CONDITION

General principles

368. Service does not qualify unless the officer holds a substantive office on a permanent establishment.

369. An establishment, the duties of which are not continuous but are limited to certain fixed periods in each year, is not a temporary establishment. Service in such an establishment, including the period during which the establishment is not employed, qualifies; but the concession of counting as service the period during which the establishment is not employed does not apply to an officer who was not on actual duty when the establishment was discharged, after completion of its work, or to an officer who was not on actual duty on the first day on which the establishment was again re-employed.

370. Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except—

(i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment;

(ii) periods of service in work-charged establishment; and

(iii) periods of service in a post paid form contingencies.

(The amendment takes effect from April 20, 1977)

NOTE—If service rendered in a non-pensionable establishment, work-charged establishment or in a post paid from contingencies, falls between two periods of temporary service in a pensionable establishment or between periods of temporary service and permanent service in a pensionable

establishment, it will not constitute an interruption of service.

*370-A Deleted.

*371. Deleted.

Apprentices and probationers

372. Service as an apprentice does not qualify, except in the following cases:—

Engineer or Examiner Apprentices.

In the Public
Works
Department.

Qualified students of the Thomason College under practical training who passed out prior to the year 1924.

373. The service of a probationer who holds a substantive office and draws substantive pay qualifies. So does that of an officer who is on probation for a substantive office if he is employed in a vacancy reserved for him pending probation, and in which no other officer simultaneously counts service.

Decisions of the Government of India

(1) Probationary service not followed by confirmation does not qualify for pension.

[Government of India, Finance Department Memo no. 1620, dated March 31, 1868, and Government of India, Finance Department U.O. no. 6786-C.S.R. dated the 22nd December, 1925].

NOTE—It has been decided by the Auditor-General with the concurrence of Government of India that the above orders do not debar a Government servant from counting his probationary period for pension though he is confirmed in a post other than in which he was appointed on probation.

[Auditor-General's no 316-A/153-39, dated the 27th June, 1939]

(2) A man having no, substantive appointment, officiating for some time in a vacancy caused by the absence of the permanent incumbent; can count his officiating service even if his subsequent probationary service in which he was engaged in continuation of his officiating service fails to satisfy the conditions of Article 373 and hence does not qualify.

[Government of India, Finance Department no. 3084-F, dated the 13th May, 1904]

(3) A Government servant holding a substantive appointment in one office and transferred as a probationer on a subsistence allowance to another office may count towards leave and pension his services in the latter capacity. It is essential, however, that the officer should retain a lien on his substantive appointment so that he may return to it in the event of his not being confirmed. Moreover, as under Article 355 (b) C.S.R. two officers

1919, they have definitely elected the rules referred to in the preamble of the article.

Note 2—Article 474-A shall not apply to government servants (other than those who were in subordinate service on December, 1935 and who may be promoted to a provincial service after that date) appointed on or after January 1, 1936.

Note 3—Article 475-A shall not apply to Deputy Secretaries to Government other than members of All India Central Services, appointed on or after January 1, 1936.

349-B. Not printed.

Qualifying Service

1350. All establishments whether temporary or permanent, shall be deemed to be pensionable establishments ;

Provided that it is open to the State Government to rule that the service in any establishment does not qualify from pension.

1. Service in Dak Bungalow and District Garden Establishments does not qualify.
2. The service of a Patwari, whether appointed before or after the abolition of the Patwari or Village Officers' Cases and Funds, does not qualify in any case in which it did not qualify prior to that abolition.
3. Service in non-gazetted posts in Government Technical and Industrial institutions in the Uttar Pradesh does not qualify in the case of persons appointed to such posts on or after November 15, 1938.

²[*Exception*—This rule does not apply to the posts declared pensionable in Shram (Kha) Vibhag G. O. No. 810 (E) XXXVI-B—106/56, dated May 29, 1963 and Udyog (Gha) Vibhag G. O. No. 375-ED/XVIII-D—AQ-19-ED, 60, dated June 5, 1963.

Comments

Pension is a right not a bounty or gratuitous payment. The payment of pension does not deepened upon the discretion of the Government but is governed by the relevant rules and any one entitled to the pension under the rules can claim it as a matter of right. (1971 SCR 634).

The pensionary benefits are given to all the pensioners from the date on which the pensionary benefits have been made available to a particular case of Government servant.

(AIR 1984 SC 1177 ; AIR 1983 SC 130 ; AIR 1984 SC 1287 AIR 1980 SC 1780).

1. Substituted by Notification/Miscellaneous No. G-3-565/X-912(3)/74-Constitution-Rule/1970-AM (8), 1977, dated April 20, 1977 amends and substituted article shall be deemed always to have been so substituted.
2. Inserted by Notification G-2-2740/X-904 (3)-62, dated September 11, 1963.

The term Pensions has been judiciary defined as stated allowance or stipend made in consideration of past service or a surrender of rights or emoluments to one retired from service. Thus the pension payable to a Government servant is earned by rendering long and efficient service and therefore can be said to be a differed portion of the compensation for service rendered.

Pension is not only compensate for loyal service rendered in the past but pension also has a broader signifance. In that it is a measure of socio-economy security in the fall of life when physical and mental prowess is obbing corresponding to aging process.

In A. I. R. 1971 SC 1420 it was held by the Supreme Court that the right of the petitioner to receive pension is property under Article 31 (1) and by a mere executive order the State had no power to withhold the same.

The constitution having set up the political society which has a welfare socialistic state as its goal and with the obligation created under Article 39 (e) 41, 43 (13) of the Constitution. Pension as a retirement benefit is in consonance and in furtherance of the goals of the Constitution.

Held that the right of a Government servant to receive pension is property under Article 31 (1) of the Constitution of India and by the mere executive order the State did not have the power to withhold the same. Further the claim to pension is property under Article 19 (1) (f) and was not saved by sub-Article (5) of Article 19.

Reasonable opportunity should be given before the deduction of pension.

State of Punjab v. Khansal Singh, 1973 A. S. R. 485.

Pension subject to future Good Conduct.

¹[351. Future good conduct is an implied condition of ever grant of a pension. The State Government reserve to themselves the right of withholding or withdrawing a pension or any part of it, if the pensioner be convicted of serious crime or be guilty of grave misconduct.

The decision of the State Government on any question of withholding or withdrawing the whole or any part of pension under this regulation shall be final and conclusive.

²[351-A. The Governor reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or any part of it, whether permanently or for a specified period and the right of ordering the recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused Government, if the pensioner is found in departmental or Judicial proceedings to have been guilty of grave misconduct, or to have caused pecuniary loss to Government by misconduct or negligence, during his service, including service rendered on re-employment after retirement :

1. Amended by Notification No. G.-2317/X-913-69, Dated 27-10-76.
2. Substituted by Noti. No. G-2-1008/X-918-950, dated 6-1-1961.

...संरक्षण का लाभ तथा ...
...निर्धारण

19 5 0
1 1.20
1- नि-
प्रा-
मर्-
2 न-
न-
2
(18)
प-
प-
रु-
ज-
3
(1)

...दिनांक 2
...की उत्तर
...जाये
...जायेगा तथा

...के किसी पद पर नियुक्त
...देव

...दूसरे विभाग में आने पर वेतन
...उत्तर प्रदेश में ही किसी अन्य विभाग
...अनुसार कार्यमुक्त
...कर देना चाहिए तथा त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।
...की पूर्व विभाग में दी गई सेवा पेंशन हेतु गिनी जायेगी (अनुच्छेद 350,
...तथा वेतन का संरक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

...के पूर्व विद्यमान व्यवस्था
...पूर्व की सेवा में स्थायी न रहा हो (किसी पद पर लियन न हो):- नियुक्ति के पद
...का वेतन अनुमन्य होगा।

...की संरक्षणी सेवा में (किसी पद पर लियन हो):- वेतन संरक्षण हेतु वेतन नियम की
...के अनुसार होगी।

...के मूल नियम-22
...की संरक्षणी मान्य नहीं
(1) श.अ. संख्या जी-2-1252/एस-2000-301/88, दिनांक 24-11-2000

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या
ए.4/इ-1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

आवेदन पत्र विक्रय की तिथि - 25 जनवरी 2003

आयोग द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि - 21 फरवरी 2003

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञापन आयोग के वेबसाइट <http://www.uppsc.org> पर भी उपलब्ध है।

2. उक्त परीक्षा को आ.एम.आर. आवेदन पत्र परम्परागत आवेदन पत्र सहित निम्नी के साथ 2002 के विधायित्व एक धरों से मूल्य के आधार पर उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र की कीमत 215/- तथा पी.एम.सी. (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के प्रजासत्ताक एवं समाज के विकलांग हेतु) का मूल्य रु. 125/- होगा। मूलपूर्ण सैनिकों के लिए आवेदन पत्र की मूल्य उन्नयी मूख्य श्रेणी के अनुसार होगा।

3. आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित पत्र तथा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश विद्यमान पत्र पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

4. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा में सहायक अभियोजन अधिकारी के 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा जनसंख्या तथा लक्षणों के निर्धारित केन्द्रों पर एक प्रतिष्ठिता परीक्षा का आयोजन करेगा। उक्त 57 पदों में सामान्य की 27 अनुसूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 रिक्तियाँ हैं।

5. सेवा की विशेषता तथा केन्द्र आवंटित कर अभ्यर्थियों को समानानुसार सूचित किया जाएगा। यदि कोई अधिक समस्या होने पर यथावश्यक प्रारम्भिक परीक्षा भी कराई जा सकती है।

2. रिक्तियों की संख्या असामान्य परिस्थितियों में घट सकती है।

3. आरक्षण : क्षेत्रीय आरक्षण समाज के विकलांग, स्वतन्त्र समाज सेवकों के आश्रितों तथा अन्य वर्गों में रहने वाले अभ्यर्थियों को अद्यतन शरणादेशों के अनुसार देया होगा।

नोट - (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी निर्धारित निर्धारित धारणा पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उत्तरी प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ सलग्न करें।

2. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक पत्र ही प्रेषित किया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की आरक्षण का लाभ अनुमत्त नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य जातीयता के निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करें। (4) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्वतन्त्र समाज सेवकों को आश्रित एवं महिलाओं को आरक्षण अनुमत्त नहीं है।

4. वेतनमान : 6500-10500

5. शैक्षिक अहंताएं : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपनी मातृका के अहंताओं से विधि स्नातक

के अतिरिक्त अग्रथ धारित करना चाहिए।

नियमों अहंता : अन्य बातों के समान होने पर एरो प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो 2. राष्ट्रीय केंद्र के एरो प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा।

6. आयु : (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु को नहीं होना चाहिए अर्थात् जनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष/सचिव
↓

(अनुलग्न-३-॥)

स्पीड-पोस्ट

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रांक: एक-दो-136-2004/ 2109 /05 लखनऊ दिनांक: 5 अप्रैल, 2005
शुश्री श्रीमती त्रिपाठी, D/o श्री छिटाकोट लिपाठी,
मकान नं०- 131 गोहल्ला जैलून, बाना- कोतवाली फतेहपुर
जिला भतेहपुर 2050 पिन 212601

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-764/छ-पु0-9-31(100)/2004 दिनांकित- 5 अप्रैल, 2005 के द्वारा आपको सहायक अभियोजन अधिकारी वेतनमान रु० 6500-200-10500 में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है।

2- आपको डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के साथ दिनांक-11.4.2005 को पूर्वान्ह में अग्रहण कार्यभार ग्रहण करना है। यदि निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और न ही आपसे समय बढ़ाने के लिए ठोस कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना-पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वयंमेव समाप्त हो जायेगा।

3- डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4- आपको वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता मंहगाई भत्ता व समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

5- कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

- 1- ओथ आफ एलिजियन्स संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 2- गोपनीयता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 3- चल,अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 4- विवाहित होने की दशा में एक पत्नी/पति होने का प्रमाण-पत्र।
- 5- दो राजपत्रित अधिकारियों-द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

दिनांक-11.4.2005 से डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आपका 6 माह का आधारमूल प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा, जिसके लिए कृपया आप 2 नेकर (सफेद), 2 टीशर्ट कालरदार (सफेद), 2 पैट (सफेद), 2 सफेद कमीज, एक कार्ली टाई, एक जॉडी ब्लैक शूज, व एक जॉडी पी०टी० शूज सफेद, 2 जॉडी सफेद मोजे व विस्तर व कम से कम रूपया 3000/- की धनराशि मेस एडवांन्स हेतु व अन्य खर्चों हेतु अलग से लेकर आये।

.....2/

स्वयंसेवा
५

- 7- डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण समाप्त होने पर आपका आगामी प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगा-
1. एक माह का प्रशिक्षण न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
 2. एक माह का प्रशिक्षण न्यायालयों में किसी जनपद में।
 3. एक माह का प्रशिक्षण थाना में किसी भी जनपद में।
- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आपको अलग से अवगत कराया जायेगा।

(ए0 अब्राहम कुरियन)
महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

प्रतिलिपि-

1. संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या-764/उ-पु0-9-31(100)/2004 दिनांकित-5.4.2005 के सन्दर्भ में सूचनार्थ. प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य, डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों की सूची इस अनुरोध के साथ-प्रेषित है कि कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें-
 1. कार्यभार ग्रहण करने हेतु आने वाले नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारी के आगमन पर उनके समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था।
 2. जो नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारी दिनांक 11.4.2005 तक कार्यभार ग्रहण करते हैं उनकी सूची तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूल रूप में तथा जो उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी सूची अलग-अलग दो प्रतियों में भेजने का कष्ट करें।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद को इस आशय से कि उक्त अभ्यर्थी के डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर वेतन आहरण/वितरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें।
4. फौक्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद- फतेहपुर को इस आशय से कि उक्त अभ्यर्थी के अंकित पते पर इस पत्र की तामीली तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।
5. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(ए0 अब्राहम कुरियन)
महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2-व्यमोप
5

(अनुलग्नक-3)

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449/2005/

दिनांक: अप्रैल 11, 2005


प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (परि०) डा०भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, २०प्र० मुरादाबाद का पदाधिकार निदेशक अभियोजन २०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/2109 /05 दिनांकित 5/4/2005 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, दिनांक: अप्रैल 11, 05 के पूर्वान्ह/अव्वरान्ह में हस्ताक्षरित किया गया।

प्राप्त किया गया

(सहायक अभियोजन अधिकारी
के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु
आगमन करने के फलस्वरूप)

नामक अधिकारी Shradha Tripathi
(सहायक निदेशक)
11.04.2005

प्रतिहस्ताक्षरित


अध्यक्ष विधि संकाय 11/4/05

डा०भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी
२०प्र०मुरादाबाद।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण २०प्र० लखनऊ।
- 2-अपर निदेशक अभियोजन, २०प्र० लखनऊ।
- 3-संयुक्त निदेशक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद।
- 4-कोषाधिकारी मुरादाबाद।
- 5-संबंधित अधिकारी।
- 6-कार्यालय प्रति।

सहायक निदेशक
न

(अनुलग्नक-4)

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449/2005

दिनांक: अक्टूबर 07, 2005

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (परि०), डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, ४० प्र०, मुरादाबाद का पदाधिकार अपर महानिदेशक अभियोजन, ४० प्र० लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-138-2004/5568/2005 दिनांकित 3-10-2005 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, दिनांक 7/10/05 की अपरान्ह में हस्तांतरित किया गया।

श्रद्धा त्रिपाठी

मुक्त अधिकारी Shradha Tripathi
7-10-05

(सहायक अभियोजन अधिकारी
के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने
के उपरान्त जनपद कानपुर जिला को
प्रस्थान करने के फलस्वरूप)

प्रतिहस्ताक्षरित

अध्यक्ष विधि सहाय
7/10/05

डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी
४० प्र० मुरादाबाद।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, ४० प्र०, लखनऊ।
- 2-अपर निदेशक अभियोजन, ४० प्र० लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी कानपुर, जिला।
- 4-कोषाधिकारी कानपुर, जिला।
- 5-ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर, जिला।
- 6-संबंधित अधिकारी।
- 7-कार्यालय प्रति।

2-व्यक्तिगत

श्री ३० प्र०
निदेशक अभियोजन, ४० प्र० लखनऊ
कानपुर जिला

सेवा में,

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
कानपुर देहात।

महोदय,

सादर निवेदन है कि अध्यक्ष, विधि संकाय, डा. भीमराव अम्बेडकर
पुलिस अकादमी, उत्तर प्रदेश, सुरादाबाद से सहायक अभियोजन अधिकारी
के कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करके दिनांक: 7.10.05 को वहां से कार्यमुक्त
होकर आज दिनांक: 10.10.05 के पूर्वान्ह में सहायक अभियोजन अधिकारी
के पद पर मे अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर रही हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी योगदान आख्या
स्वीकार करने का कष्ट करें।

दिनांक: 10.10.05
संलग्नक: प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की
मूलप्रति
2. सल: पी: सी: मूलसम: में।

प्रार्थना,
Shrawaha Tripathi
श्रद्धा त्रिपाठी
सहायक अभियोजन अधिकारी

Search
Permit
500 (K.D.)
10/10/05

स्वयमोदय

सेवा में,

श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

द्वारा - उचित माध्यम।

विषय:- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल
जज(जूनियर डिप्टीजन्) परीक्षा 2008 में सम्मिलित होने विषयक अनापत्ति
प्रमाण पत्र तथा अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सहोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी वर्तमान में जनपद कानपुर देहात में
सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थिनी की जन्म तिथि
18-4-1980 है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उ०प्र० न्यायिक सेवा
सिविल जज (जूनियर डिप्टीजन्) परीक्षा 2008 के विज्ञापन संख्या
ए-6/ई-1/2008 में आवेदन करना चाहती है। उक्त आवेदित पद प्रार्थिनी के
वर्तमान पद सहायक अभियोजन अधिकारी से उच्च है तथा उक्त पद का वेतनमान भी
अधिक है। उक्त पद का आवेदन पत्र आयोग पहुंचने की अन्तिम तिथि 3-11-2008
है। प्रार्थिनी को उक्त पद हेतु आवेदन करने व परीक्षा में सम्मिलित होने पर किसी भी
प्रकार से शासकीय कार्य में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी को उक्त पद के लिए अनुमति प्रदान करने
तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करें।

दिनांक -

संलग्नक :- विज्ञापन की प्रमाण
प्रति।

प्रार्थिनी

(श्रीमती त्रिपाठी)

सहायक अभियोजन अधिकारी,
कानपुर देहात

राजेश कुमार

श्रीमती त्रिपाठी
सहायक अभियोजन अधिकारी
कानपुर देहात

(अनुलग्नक-क)

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लक्ष्मी कामलेक्स, विभूति खण्ड, गौरी नगर, लखनऊ।

पत्रांक:-एक-दो-एपीओ-एनओसी-पा-2/10/14 /2006 दिनांक: 21 फरवरी, 2007

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,

जनपद-सहारनपुर/मुजफ्फर नगर/मेरठ/मलेवा/जालौन/विजनौर,
रामपुर/आगरा/अलीगढ़/एटा/हाथरस/आजमगढ़/फंजावादा/हमीरपुर
लखनऊ/वदाय/बरेली/औरिया/कानपुर नगर/देहात/गोरखपुर/सिद्धार्थनगर
इलाहाबाद/सुलतानपुर/मैनपुरी/जौनपुर/कन्नौज/गार्जीपुर/देवरिया
भदोही/मुरादाबाद/बिजनौर एवं फर्रुखाबाद।

अपने मूल कार्यालय/विभाग से बाहर सेवायोजन के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण।

आपके अधीनस्थ नियुक्त निम्न सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा-2006 एवं मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा-2006 में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है-

क्र.सं.	नाम अधिकारीगण	नियुक्त जनपद	क्र.सं.	नाम अधिकारी गण	नियुक्त जनपद
1	श्री भूलेराम	सहारनपुर	30	रामसमुझ	
2	" भूपेन्द्र प्रताप	"	31	" बंगाली	औरिया
3	कृ० शालू पिपिल	"	32	सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी	कानपुर देहात
4	" इल्लमास अहमद	मुजफ्फर नगर	33	" संजय कुमार गुप्ता	गोरखपुर
5	" संजीव कुमार	"	34	" आनन्द प्रिय मौर्य	"
6	" संजय कुमार	"	35	" नीरज कुमार बक्शी	"
7	" अजय कुमार	मेरठ	36	" कुशा कुमर जयसवाल	"
8	" योगेश चन्द नौजा	मेरठ	37	अनिश कुमार बगडिया	"
9	" योगेश्वरकृष्ण श्रीवास्तव	मलेवा	38	" रामाशोष कुशावाला	"
10	" रविकरण सिंह	"	39	" सुवाप चन्द्र	सिद्धार्थनगर
11	श्रीमती कविता राणी सिंह	विजनौर	40	" विजय कुमार	"
12	" खतीब अहमद	रामपुर	41	" जयहिन्द	इलाहाबाद
13	श्रीमती सुवर्णा आनन्द	आगरा	42	" लक्ष्मी राज सिंह	एटा
14	" विनोद कुमार सिंह	"	43	सुश्री सुनयना त्रिपाठी	सुलतानपुर
15	" सुनील कुमार	अलीगढ़	44	" श्री पिपिल नगर मिश्र	मैनपुरी
16	" संजय कुमार सुमन	एटा	45	" सुरन्द राम	जौनपुर
17	" अनार सिंह	"	46	" विजय कुमार राम	"
18	" रवीन्द्र पंचोरी	हाथरस	47	" कृष्ण प्रताप यादव	कन्नौज
19	" रामवर्मा	आजमगढ़	48	" महेश्वर प्रसाद गुप्ता	जौनपुर
20	" सुनील	मौटीसी उन्नाव	49	" सुनील कुमार गुप्ता	गार्जीपुर
21	" बाल मुकुन्द	फंजावादा	50	" आशा राम पाण्डेय	देवरिया
22	" अच्छेलाल यादव	"	51	श्रीमती नीलिमा पाण्डेय	"
23	" धीरेन्द्र कुमार मिश्रा	हमीर पुर	52	श्री अजीत सिंह	भदोही
24	" रुदेन्द्र श्रीवास्तव	लखनऊ	53	" अनिल कुमार	सिद्धार्थ नगर
25	" अशोक कुमार शुक्ला	"	54	" शिवमूर्ति	मुरादाबाद
26	श्रीमती रुबी यादव	वदाय	55	" नागेन्द्र गारुवामी	कानपुर नगर
27	" नीरज कुमार	"	56	" नागेन्द्र गारुवामी (पीसीएस परीक्षा हेतु)	कानपुर नगर
28	" अशोक कुमार यादव	"	57	" सतीश कुमार वर्मा	कानपुर नगर
29	" राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति	"	58	" नीरज कुमार बक्शी	गोरखपुर
30	श्रीमती शहला समी	बरेली			

S.P.A.K.D

S.A.
N.A.P.P.
S.P.A.K.D.
27/3/07

स्वयंभोज

प्रमुख निदेशक
विभूति खण्ड
लखनऊ

मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा-2006

59	" लक्ष्मी फांत मिश्रा	चित्रकूट
60	" ओम प्रकाश जायसवाल	कानपुर नगर
61	" कुल शेखर सिंह	कानपुर नगर
62	" पीरेन्द्र कुमार	कानपुर नगर
63	" सुरेश कुमार	फर्रुखाबाद
64	" जसवंत सिंह	चित्रकूट
65	" सतेंद्र पाल सिंह	एटा
66	" मोहन यादव	शामपुर

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशालय के पत्रांक-एक-दो-एपीओ-एनओसी-गार्ट-2/7371, 2006 दिनांक-30 अक्टूबर, 2006 एवं समस्त परिक्षेत्रों को निदेशालय के पत्रांक-एक-दो-एपीओ-एनओसी-गार्ट-2/7698/2006 दिनांक-10.11.2006 द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है कि शासन देश संख्या-16/2/1968-कार्मिक-2 दिनांक-19.6.1979 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी (स्थाई अथवा अस्थाई) संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के आयोग द्वारा भी विज्ञापित पदों के लिए अपने आवेदन-पत्र सीधे भेजने के लिए अधिकृत किये जाते हैं। उक्त अधिकारी/कर्मचारी आवेदन पत्र भेजने के तुरन्त बाद ही अपने विभाग/विभागाध्यक्ष को विज्ञापित पद के संबंध में पर्याप्त सूचना देते हुये उन्हें इस तथ्य से अवगत करा देगा कि उसने आवेदन पत्र भी भेज दिया है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर विभाग, विभागाध्यक्ष अपनी आपत्ति/आपत्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग/अन्य प्रदेशों के आयोगों को सूचित कर देंगे। यह सूचना संगंधित अधिकारी/कर्मचारी के विभागाध्यक्ष द्वारा संगंधित आयोग को उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि के 30 दिनों के अंदर पहुंच जानी है। यदि उक्त प्रकार की सूचना संघ लोक सेवा आयोग/अन्य प्रदेशों के आयोगों को उपरिलिखित अवधि के अंदर नहीं दी जाती है तो स्वयं संघ द्वारा यह मान लिया जाएगा कि विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना देते हुये उक्त पदों के कर्मचारी के अभावधित्व पर आयोग द्वारा विचार कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिप्लोमा परीक्षा-2006 के विज्ञापन के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है। अतः साक्षात्कार हेतु आमंत्रण प्राप्त होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी एवं उक्त प्रमाणित साक्षात्कार में विभाग प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करे।

इसके अतिरिक्त जिन पदों के विज्ञापन में आवेदन पत्र के साथ विभागीय अनुमति अपेक्षित हो, उन्हीं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जानी चाहिए। अन्यथा विभाग द्वारा उक्त पद हेतु आवेदन किये जाने की सूचना दी जाए।

(एस0जी0इमाम)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि--

समस्त अपर निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश को तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न किये जाने हेतु प्रेषित।

(एस0जी0इमाम)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0, लखनऊ।

स्वायत्त
एनओसी

10
(अनुवर्तक - 10)

10

फैक्स

दूरभाष : 2720712
फैक्स : 2720865

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी कामलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक

एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-3/5965/CB

दिनांक 10 नवम्बर 2008

1/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र / /

सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद कानपुर देहात ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2008 के शाखास्तन में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का अनुरोध किया गया है। यदि इनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 सिविल जज (जू0डि0) के पद हेतु की जाती है तो शासन के अनुमोदनोपरांत इन्हें कार्यमुक्त किया जाने में अभियोजन निदेशालय को कोई अपत्ति नहीं होगी।

SA,
15-11-08

(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि-

- 1
- 2
- 3
- 4

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
अपर निदेशक अभियोजन, कानपुर परिसरे, कानपुर।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, कानपुर देहात।
श्रीमती श्रद्धा त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद कानपुर देहात।

MVK
10.11.08
(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0, लखनऊ।

सचिव
24/11/08

(अनुलग्नक-१)

11

फैक्स

दूरभाष 2720712
फैक्स 2720665

**अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्प्लेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।**

पत्रांक-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/ 34 /09 दिनांक 5 जनवरी, 2010

संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
अनुपम-शीवापुर/कानपुर जेल/सहारनपुर/पुना।

विषय 30प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा-2008 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन के फलस्वरूप कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में।

कृपया ध्यान दें कि संख्या 3689/उ-90 9 09-31(107)/99 दिनांक-4.1.2010

द्वारा निर्देशित किया गया है कि "30प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा-2008 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को अभियोजन विभाग की सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पद नाम	वर्तमान से-नाली का स्थान
1	श्री सुनील कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी	कानपुर
2	श्री श्री श्रद्धा त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी	कानपुर जेल
3	श्री शूले राग, सहायक अभियोजन अधिकारी	सहारनपुर
4	श्री भूपेन्द्र प्रताप, सहायक अभियोजन अधिकारी	सहारनपुर
5	श्री सुनील कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी	पुना

उक्त अधिकारियों का अभियोजन विभाग की सेवा में 03 वर्ष तक अथवा न्यूनतम पद पर स्थायी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारणाधिकार (लिखत) सुरक्षित रहेगा।"

2 अतः तदनुसार कार्यवाही करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपरोक्त अधिकारियों के पक्ष में कोई दाय/प्रकरण नित न हो या नूतन कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

Milk
5.1.10
(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि).
30प्र0 लखनऊ।

- प्रतिलिपि-
- 1 निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
अनु सचिव, गृह (प्रशिक्ष) अनुभाग-9 30प्र0 धारणा के शासन के पत्रांक 3689/उ.
90-9-09-31(107)/99 दिनांक 4.1.2010 के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।
 - 2 परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन लखनऊ/कानपुर/गुरु/आगरा परिक्षेत्र।

रायभावा
7

(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि).
30प्र0, लखनऊ।

(अनुलग्न-12)

(12)

(13)

कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, कानपुर देहात।
पत्रांक:- 03 /अभि0-श्रद्धा-पीएफ-कांदे/2010, दिनांक: जनवरी 06 /2010

श्रद्धा त्रिपाठी,
सहायक अभियोजन अधिकारी,
कानपुर देहात।

निदेशालय के पत्र संख्या:-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09,
दिनांक:-05-01-2010 एवं शासन के पत्र संख्या-3589/छ:-पु0-9-09-81(107)/99
दिनांक 04-1-2010 के अनुपालन में आपको सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन होने
के उपरान्त कार्यमुक्त किया जाना है। अतः आपको आदेशित किया जाता है, कि आप
अपना समस्त चार्ज/कार्यभार श्री पी0के0 शुक्ला, सहायक अभियोजन अधिकारी को आज
अपरान्ह तक निश्चित रूप से देना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार गुप्ता)
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि:-

- 1- श्री पी0के0 शुक्ला सहायक अभियोजन अधिकारी को इस आशय से कि वह श्रद्धा त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी का समस्त चार्ज/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार गुप्ता)
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
कानपुर देहात।

स्वायम्भोवत
क

कार्यालय संख्या अधिसूचना अधिकाारी, कांसूर जिला
क्रमांक- 04 दिनांक- 01-01-2010/अनुसूची/अ.सू.अ.सू./2010, दिनांक- जनवरी 06, 2010

आज्ञा

सौर विद्युत आयोग, अहमद, बंगलूरुवाले द्वारा अधिसूचित 2008 न्यायिक सेवा परीक्षा-2008 के आधार पर विधिवत पत्र भूषण के पत्र पर चयन के फलस्वरूप इस जयपुर में नियुक्त नवायु अधिसूचित अधिकाारी महा विभागीय एवं कार्यभार रिक्त करने विद्युत अधिसूचित नियुक्त, अहमद, बंगलूरु के पत्रों-एक-दो-एकी-कार्यभार-2009/अ.सू.अ.सू./ दिनांक-08 जनवरी, 2010 को अंततः के पत्र संख्या- 2009/अ.सू.अ.सू.-9-09-31 11071/09, दिनांक 01-1-2010 के अंत में जारी किया गया है, के अंत में अहमद न्यायिक सेवा परीक्षा-2008 द्वारा विधिवत पत्र भूषण के पत्र पर चयन को करने के फलस्वरूप महा विभागीय, नवायु अधिसूचित अधिकाारी, कांसूर जिला को इस तरीके साथ नियुक्त/आर कार्यभार रिक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है, यह महा विभागीय एवं अधिसूचित विभाग को सेवा में 08 वर्ष तक अथवा, नवायु विभाग पर पर रजिस्ट्री होने तक, इसमें से जो भी पहले की, अधिसूचित अधिकाारी सुरक्षा रहेगी।

अतः चयन के अनुषंग में महा विभागीय, नवायु अधिसूचित अधिकाारी, कांसूर जिला को आज दिनांक-01-01-2010 की अंततः में इस जयपुर/विभाग में न्यायिक अधिसूचित-प्रथम श्रेणी सेवाएं के पत्र पर कार्यभार प्रदान करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।

प्रमुख अधिसूचित अधिकाारी,
कांसूर जिला

- 1- अधिसूचित विभागीय एवं नवायु अधिसूचित अधिकाारी हेतु तदनुषंग में:-
1- अधिसूचित अधिसूचित, अधिसूचित नियुक्त, अहमद, बंगलूरु को अथवा नवायु पत्र संख्या-एक-दो-एकी-कार्यभार-2009/अ.सू.अ.सू./ दिनांक 08 जनवरी, 2010 के अंत में है।
- 2- अहमद न्यायिक, अधिसूचित नवायु अधिसूचित, अहमदवाले।
- 3- अहमद नवायु अधिसूचित, अहमदवाले।
- 4- अधिसूचित अधिकाारी, कांसूर जिला।
- 5- अहमद न्यायिक अधिसूचित, कांसूर पत्रों, कांसूर।
- 6- महा विभागीय, नवायु अधिसूचित अधिकाारी, को अनुपस्थानार्थ।

प्रमुख अधिसूचित अधिकाारी,
कांसूर जिला

Raymond
अपर विभागीय एवं नवायु अधिसूचित अधिकाारी, कांसूर जिला

10/1
10/1
10/1

(अनुलग्नक-14)

015

1

प्रेषिका,

श्रद्धा त्रिपाठी,
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
कानपुर नगर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश

द्वारा: श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

संदर्भ- शासनादेशसं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने हेतु विकल्प चुनने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि उ०प्र० शासन द्वारा पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा का विज्ञापन 28.03.2005 के पूर्व जारी हो चुका था लेकिन पुरानी पेंशन योजना से अछादित नहीं थे, क्योंकि सेवा 28.03.2005 के पश्चात नियुक्ति प्राप्त की थी। ऐसे सरकारी सेवकों को नयी पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। चूंकि पुरानी पेंशन योजना अधिक लाभकारी है। अतः अधोहस्ताक्षरी नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में आछादित होना चाहती है।

यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी ने उ०प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 07 जनवरी 2010 को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 (अनुलग्नक-13) से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उ०प्र० शासन के अधीन अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पद पर कार्यरत रही थी। उ०प्र० शासन के अधीन अभियोजन विभाग से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2002 जो कि दिनांक 31.12.2002 को विज्ञापित हुयी थी, जो 28.03.2005 के पूर्व की है, जो कि (अनुलग्नक संख्या-1) है।

उक्त सेवा में अधोहस्ताक्षरी का चयन होने के उपरान्त दिनांक 05.04.2005 अभियोजन निदेशालय उ०प्र० द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-136-2004/2109/05 लखनऊ

5

दिनांक: 05 अप्रैल 2005 जारी हुआ, जो (अनुलग्नक संख्या-2) है। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया गया, जो (अनुलग्नक-3) है। तत्पश्चात आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त जनपद कानपुर देहात में कार्यमुक्त होने तक सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य करती रही। अनुसंलग्नक-4 व 5 सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात में के रूप में कार्यभार ग्रहण करने छायाप्रति है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुये अभियोजन विभाग की अनुमति के उपरान्त उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन किया था जो (अनुलग्नक- 6, 7 व 8) है। उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 में चयनोपरान्त विभाग की अनुमति से पत्रांक संख्या- एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09 दिनांक 05 जनवरी 2010 के द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर (अनुलग्नक 9) उ०प्र० न्यायिक सेवा को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 के अनुपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद के रूप में दिनांक 07.10.2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 06.01.2010 को सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पद से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त होकर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पत्रांक संख्या 03/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 के जरिये कार्यमुक्ति प्राप्त की गयी थी, जो कि (अनुलग्नक- 10 व 11) है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश-14/2024/सा-3-243/दस -2024 /301(1)/2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस-2024 /301 (1)/ 2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 में वर्णित निर्देशों एवं विकल्प के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना का चुनाव अंतिम रूप से करती है। विकल्प पत्र शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 (अनुलग्नक संख्या-14) संलग्न किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश रियायतमेन्ट बेनिफिट्स रूल 1961 के अधीन अच्छादित किये जाने वाली शर्तों को पूर्ण करती है क्योंकि अधोहस्ताक्षरी का सर्वप्रथम चयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विज्ञापित पद सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2002 विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2002 में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ था।

चूंकि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद का विज्ञापन दिनांक 31.12.2002 को विज्ञापित हुआ था। अतः उक्त पद उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024 /301(1)/2024 पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार उ०प्र० न्यायिक सेवा में आवेदन किया गया है तथा अभियोजन विभाग से

कार्यमुक्त होकर उ०प्र० न्यायिक सेवा का पदभार ग्रहण किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश दिनांकित 30.04.2019 का विहित प्रारूप भी (अनुलग्नक-12) संलग्न किया जा रहा है।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को अंतिम रूप से निर्णय को स्वीकार करते हुये उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल 1961 का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक-24.07.2024

भवदीया,

24.7.24

(श्रद्धा त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. न्यायालय
महिला कोर्ट, कानपुर नगर

I.D.No U.P. 1806

संलग्नक-


- 1- सहायक अभियोजन अधिकारी की विज्ञप्ति संख्या ए-4/ई-1/2002 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2- दिनांक 05.04.2005 अभियोजन निदेशालय उ०प्र० द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-136-2004/2109/05 लखनऊ दिनांक: 05 अप्रैल 2005 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 3- डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या-प-449/2005/दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 4- डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या-प-449/2005/दिनांक 07.10.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार हस्तान्तरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 5- सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात में के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 6- उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 7- उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन करने की अनुमति अभियोजन निदेशालय का पत्रांक संख्या-एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-2/1014/2006 दिनांक 21 फरवरी 2007 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 8- अभियोजन निदेशालय उ०प्र० का उ०प्र० सिविल जज (जू०डि०) के साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-3/5965/सीबी दिनांक 10 नवम्बर 2008 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- 9- अभियोजन निदेशालय उ०प्र० का उ०प्र० सिविल जज (जू०डि०) के पद पर चयन फलस्वरूप कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09 दिनांक 05 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 10- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात का कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या 03/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 11- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात का कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या 04/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 12- शासनादेश संख्या: 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक 30 अप्रैल के संलग्नक की डिजीटली प्रमाणित प्रति।
- 13- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 14- विकल्प पत्र शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुसार।

प्रतिलिपि- श्रीमान् महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

दिनांक-24.07.2024

भवदीया,



(श्रद्धा त्रिपाठी)


अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. न्यायालय
(सदर न्यायालय, कानपुर नगर)
कानपुर नगर
I.D.No U.P. 1806

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर ।

पत्रांक 1451/कानपुर नगर

दिनांक 24/07/2024

महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश को अग्रसारित।


जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर ।
24/07/2024

(अनुसूची-17)

(13)

(11)

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2974/II-04-32(1)/2008 dated 07.08.2009 Km. **Tarkeshwari Singh**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Jyotiba Phule Nagar.

No. 2048. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1247/II-04-32(1)/2008 dated 01.04.2009 Km. **Shradha Tripathi**, candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Faizabad.

No. 2049. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1653/II-04-32(1)/2008 dated 08.05.2009 Sri **Vimal Verma** candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 2050. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1539/II-04-32(1)/2008 dated 22.04.2009 Sri **Vimal Tripathi**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 2051. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1539/II-04-32(1)/2008 dated 22.04.2009 Sri **Anand Shukla**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kanpur Nagar.

No. 2052. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 752/II-04-32(1)/2008 dated 24.03.2009 Km. **Shiv Kumari**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Saharanpur.

No. 2053. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1247/II-04-32(1)/2008 dated 01.04.2009 Sri **Dibyanand**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Faizabad.

No. 2054. /AR(S)/2009

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1247/II-04-32(1)/2008 dated 01.04.2009 Sri **Amit Kumar Singh**, candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Aligarh.

श्री यशोवर्धन
No. 2055. /AR(S)/2009